



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12052026-272489
CG-DL-E-12052026-272489

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 324]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 12, 2026/वैशाख 22, 1948

No. 324]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 12, 2026/VAISAKHA 22, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मई, 2026

सं. 15/2026-सीमा शुल्क

सा.का.नि. 358(अ).— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 की उपधारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 45/2025-सीमाशुल्क, दिनांक 24 अक्तूबर, 2025, जिसे सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्तूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, तालिका I में,—

- (1) क्रम सं. 192 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (2) क्रम सं. 193 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (3) क्रम सं. 194 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (4) क्रम सं. 195 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (5) क्रम सं. 196 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (6) क्रम सं. 197 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि “5%” के स्थान पर, प्रविष्टि “10%” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (7) क्रम सं. 200 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“200क.	7112	बहुमूल्य धातुओं से युक्त व्ययित उत्प्रेरक या राख : परन्तु इस क्रम संख्या में निहित कोई भी बात 31 मार्च, 2027 के बाद प्रभावी नहीं होगी	10%	-	3 और 24”;

- (8) क्रम सं. 202 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
“202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11, 7110 11 19, 7110 11 21, 7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118	क्रम सं. 200क में उल्लिखित वस्तुओं के अलावा सभी सामान	10%	-	-”;

(9) क्रम सं. 203 के सामने, स्तंभ (4) में, प्रविष्टि "5%" के स्थान पर, प्रविष्टि "10%" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना 13 मई, 2026 को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 354/04/2026-टीआरयू]

धीरज शर्मा, अवर सचिव

नोट: मूल अधिसूचना सं. 45/2025-सीमा शुल्क, दिनांक 24 अक्टूबर, 2025, सा.का.नि. 781(अ), दिनांक 24 अक्टूबर, 2025 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 06/2026-सीमा शुल्क, दिनांक 12 मार्च, 2026 द्वारा संशोधित की गई थी, जिसे सा.का.नि. 181(अ), दिनांक 12 मार्च, 2026 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th May, 2026

No. 15/2026-Customs

G.S.R. 358(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and sub-section (12) of section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025, namely: —

In the said notification, in TABLE I, -

- (1) against S. No. 192, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (2) against S. No. 193, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (3) against S. No. 194, in column (4), for the entry "5%", at both the places, the entry "10%" shall be substituted;
- (4) against S. No. 195, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (5) against S. No. 196, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (6) against S. No. 197, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;
- (7) after S. No. 200 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"200A.	7112	Spent catalyst or ash containing precious metals: Provided that nothing contained in this S. No. shall have effect after the 31 st March, 2027	10%	-	3 and 24";

- (8) for S. No. 202 and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be substituted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"202.	7107 00 00, 7109 00 00, 7110 11 11, 7110 11 19,	All goods other than those mentioned at S. No. 200A	10%	-	-";

	7110 11 21, 7110 11 29, 7110 19 10, 7110 19 90, 7110 21 00, 7110 29 00, 7110 41 00, 7110 49 00, 7111 00 00, 7112, 7118				
--	---	--	--	--	--

(9) against S. No. 203, in column (4), for the entry "5%", the entry "10%" shall be substituted;

2. This notification shall come into force on the 13th day of May, 2026.

[F. No. 354/04/2026-TRU]

DHEERAJ SHARMA, Under Secy.

Note: - The principal notification No. 45/2025-Customs, dated the 24th October, 2025, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number G.S.R. 781(E), dated the 24th October, 2025 and was last amended *vide* notification No. 06/2026-Customs, dated the 12th March, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i), *vide* number G.S.R.181 (E), dated the 12th March, 2026.